

# फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण वगै० बनाम गोपाल लाल शर्मा वगै०

दावा पत्र संख्या: 162/2024

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.06.2024	<p>वकील वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिरता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 19.06.2024 को पेश हो।</p>	<p style="text-align: right;">- 10/20-21/24</p> <p style="text-align: right;">3881-83</p> <p style="text-align: right;">7/6/24</p>
	19/6/24	<p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	
	24/7/24	<p>प्रजावली पेश हुई। वकील वादीगण उच्च वादीगण ने रजिस्ट्री रफिड पेश की। आ.वि.ध. पत्रावली वाले पेश करे के लिए रिपोर्ट देवु डि० 24/7/24 को पेश है।</p>	
	24/7/24	<p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	
	24/7/24	<p>प्रजावली पेश हुई। वकील वादीगण उच्च प्रजावली वाले इन्तजात लामिन आदेश 2/8/24 को पेश है।</p>	
	24/7/24	<p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	
	24/7/24	<p>प्रजावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी उपस्थित नहीं। वस्तु वृद्धत वकील व उनके वादीगण को वर ठाक आभाज वादीगण उच्च वकील कोर से कोर्ट को उपस्थित नहीं होने से मुक्ति प्राप्त होगा। एजरी उच्च परवा के कारिज रिफा जासा है। रिजिस्टर किया जासा है। प्रजावली पेश ल आभाज वकील पत्रावली को वकील वादीगण उच्च वकील वादीगण उच्च उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	